Shree

॥ श्री ॥

प्रसोडिंग बुक

कुलंबी समाज संगठन

SINGHAI

श्री गणेशाय नमः

—श्री—

चिरखाल्या, दिनांक २२-५-१९६९

लेवा पाटीदार के ५२ ग्रामों ~~की~~ के प्रतिनिधियों की आम सभा ग्राम चिरखाल्या में दिनांक २२-५-१९६९ को आयोजीत की गई। सभा में जो कार्यवाही हुई उसका विवरण तथा ठहराव निम्नानुसार है—

—x—x—

सभापति पद के लिये श्री खेमचन्दजी पाटीदार साहब का नाम श्री आत्मारामजी पटेल, तोरनोद के द्वारा प्रस्तावित किया गया तथा श्री शंकरलालजी मुंशी, तिल्ला के द्वारा अनुमोदित किया गया।

सर्व प्रथम अध्यक्ष महोदय द्वारा देवी श्री अम्बिका को पुष्प माला चढ़ाई गई। श्री भागिरथ बोरदिया तोरनोद के द्वारा स्वागत भाषण दिया गया तथा श्री शंकरलालजी मुंशी के द्वारा समाज को संगठीत करने के पिछले प्रयासों पर प्रकाश डाला गया एवं पाटीदार समाज इन्दौर क्षेत्र के संगठन मंत्री श्री हरिनारायणजी हरानिया ने इन्दौर क्षेत्र के समाज संगठन पर विस्तृत रूप से जानकारी प्रस्तुत की।

इसके बाद श्री खेमचन्दजी पाटीदार सा. द्वारा संगठन के उद्देश्य एवं उनके महत्वों पर प्रकाश डाला। साथ ही आपने यह समझाया कि संगठन सर्व प्रथम जाति स्तर पर होना आवश्यक है। भारत देश में पाटीदारों की संख्या ८ करोड़ के लगभग है फिर भी हमारा महत्व नहीं के बराबर है अतः हमारे समाज को संगठित करना अति आवश्यक है। शिक्षा तथा कृषि के क्षेत्र में भी अग्रसर होने पर प्रकाश डाला तथा समाज के फिजुल खर्च को बंद करके कृषि उन्नति करने पर विस्तृत रूप से समझाइश दी गई।

श्री राव सा. (भाट) ने श्री अम्बिका के श्लोक से अपना प्रवचन प्रारम्भ किया तथा पाटीदार समाज के उद्गम संगठन तथा गुजरात से पाटीदार समाज के विघटन का इतिहास बतलाया एवं अंत में समाज को पुनः संगठित

करने पर सम्मति दी।

श्री चांदमलजी पटेल, आदू के द्वारा लेवा कुलमी के ५२ ग्राम के पाटीदार बंधुओं को संगठित करने, शिक्षा तथा कृषि के क्षेत्र में प्रगति करने तथा हमारे समाज में जो फिजुल खर्च हो रहा है उस पर रोक लगाने के बारे में विस्तृत रूप से प्रकाश डाला गया।

श्री शंकरलालजी पटेल, पिरवल्या की ओर से धार नगर में श्री अम्बिका माता के मन्दिर निर्माण किये जाने का विचार अपना प्रस्ताव सभा के समक्ष रखा। साथ ही आपने सभा में उपस्थित प्रतिनिधियों को यह बतलाया कि हमें अपने समाज, रीति रिवाज आदि में जो फिजुल खर्च किया जा रहा है तथा आजकल नये-नये रीति रिवाज बढ़ाकर खर्च बढ़ाया जा रहा है उस पर रोक लगाना अति आवश्यक है। साथ ही आपने यह सुझाव दिया कि आज ही उपस्थित ५२ ग्राम के सज्जनों की एक एडहाक कमेटी बनाकर ग्राम बिलोदा तथा तिरला से प्राप्त हुवे प्रस्तावों पर विचार कर निर्णय लिया जावे।

इसके बाद आम सभा में उपस्थित सदस्यों के द्वारा निम्न महानुभावों की एडहाक कमेटी बनाई गई:-

श्री शंकरलालजी पटेल,	पिरवल्या,	अध्यक्ष
श्री मांगीलालजी कामदार,	बिजुर	उपाध्यक्ष
श्री शंकरलालजी मुंशी,	तिरला	मंत्री
श्री घीसाजी –	पिपलदा	उपमंत्री
श्री रामचन्द्रजी बोरदिया,	तारबाद	कोषाध्यक्ष
श्री रणछोड़जी पटेल,	पिपल्या,	प्रचार मंत्री

सदस्यों में निम्न महानुभावों का चयन किया गया-

श्री छुलजी मुकाती बिलोदा, श्री रामचन्द्रजी कामदार रामपुर श्री तुलसीरामजी पटेल तिरला, श्री रणछोड़जी कामदार कड़ोदे श्री अम्बारामजी पटेल जमन्द, श्री रामाजी आदू, श्री शंकरलालजी पटेल अगराल, श्री नाथाजी पटेल पीठड़ी, श्री रणछोड़जी पटेल बदनावर, श्री बाबूलालजी पटेल सांदियाखेड़ी,

श्री भागीरथमल नंदरामजी बदनावर, श्री धीसाजी पमलदूना (डिगठान), श्री लक्ष्मणजी पमलदूना (धार), श्री चंपालालजी कामदार बीजूर (२१) श्री जगन्नाथजी मुल्थान।

उक्त अनुसार पडदाव कमेटी का गठन किया गया तथा कमेटी ने ग्राम सिंगला, खिलेडा एवं चांदियाखेड़ी से प्राप्त प्रस्तावों को पढ़कर सुनाये तथा उन प्रस्तावों को कार्यान्वित में लाने के लिये पडदाव कमेटी में निर्णय लेने की घोषणा की गई।

बाद में श्री रणछोड़जी परेल पिपलखेड़ा ने समाज की गिरी हुई हालत पर प्रकाश डालकर यह समझाईश दी कि हमें हमारे खानपान, को पुराने रीतिरिवाज के अनुसार ही रखना चाहिये। साथ ही आपने समाज सुधार हेतु फिजुलखर्ची को बंद किये जाने पर अपने विचार रखे।

अन्त में अध्यक्ष महोदय द्वारा सभा को संबोधित किया गया तथा आपने सभा की कार्यवाही तथा उपस्थिति पर बड़ा हर्ष प्रगट किया। एवं श्री अम्बिका माता से अपनी हार्दिक मनोकामना की कि यह समाज संगठित होकर अपनी उन्नति करे। इसके बाद सभा की कार्यवाही समाप्त की गई तथा श्री भागीरथजी बोराडिया ने आभार प्रदर्शन किया। २२-५-१९६८

—×—×—

[signature]
अध्यक्ष

श्री

पिपलवणा, दिनांक २२-५-१९८५
स्थान, रेखाजी पटेल का निवास
समय :- १ बजे रात्रि।

पडहाल कमेटी की बैठक आम सभा समाप्त होने बाद आयोजीत की गई जिसमें निम्न सदस्यगणों ने उपस्थित रहकर निम्न अनुसार प्रस्तावों पर विचार कर निर्णय लिये।—

उपस्थिति :— (१) श्री शंकरलालजी पटेल पिपलवणा (२) श्री अम्बारामजी पटेल कमल (३) श्री कुलदीरामजी पटेल सिरला (४) श्री धुलजी मुकाती धिकोवर (५) श्री मांगीलालजी चौधरी बिजूर (६) श्री रामचन्द्र चौधरी रामपुरा (७) श्री नाथाजी पीठडी (८) श्री रामाजी भाटू (९) बाबूलालजी सांटियोवडी (१०) श्री भीमाजी पडल्दूना (डिगवान) (११) श्री रामचन्द्रजी बोरदिया तारनोद, (१२) श्री रेखाजी पटेल पिपलवणा (१३) श्री शंकरलालजी पूर्व श्री सिलार्ड लेखक मंत्री श्री नारिचंदजी बोरदिया, तारनोद।

क्रमांक	प्रस्ताव	ठहराव
(१)	समाज को शिक्षीत करने पर विचार :—	सर्व सम्मीत से यह निर्णय लिया गया कि समाज के प्रत्येक बालक तथा बालिकाओं को शिक्षा ग्रहण करना चाहिये इसके अभाव में दंड नहीं किया जावे।
(२)	एकबार सगाई होने पर बाद में स्थाई रूप से वह संबंध बना रहे उस पर विचार :—	इस प्रस्ताव पर पुर्ण विचार कर निर्णय लिया जाता है कि जाति समाज के किसी भी व्यक्ति ने एक बार सगाई की उसके बाद छोड़ना नहीं। संबंध करने पूर्व संबंध करने वालों ने पुर्ण विचार कर

संबंध करना चाहिये। उसके बाद यदि कोई संबंध छोड़ना तो गांव जाति समाज से पुछताछ कर छोड़े यदि इस नियम का भी खंडन किसी ने किया तो उससे ५०) रू. (पच्चास रुपया) जाति दंड का वसूल किया जावेगा। और यह दंड की रकम गांव की जाती समाज के अध्यक्ष द्वारा वसूल कर श्री आविका माता मन्दिर निर्माण में भेजकर रसीद प्राप्त करेगा। यदि किसी व्यक्ति ने उपरोक्त नियमों को भंग किया तो जाति समाज का कोई भी व्यक्ति उस व्यक्ति से संबंध नहीं करेगा जब तक उसका निराकरण नहीं हो सके।

(३) गोलमाल नहीं किया जावे इस प्रश्न पर विचार।—

सर्व सम्मति से यह निर्णय किया जाता है कि गोलमाल की प्रथा बिलकुल बंद की जाती है।

(४) प्रश्न उपस्थित हुआ कि मामेरा में जो कपड़ा पर फिजुल खर्च किया जाता है उसे कम करने पर विचार।—

बैठक में पुर्णतः विचार कर यह निर्णय लिया जाता है कि जाति समाज में किसी भी व्यक्ति ने कुंवारे नाते मामेरे नहीं करना। यदि किसी ने इस नियम को भंग किया तो गांव के किसी भी व्यक्ति

ने उनके साथ नहीं जाना चाहिये एवं गांव समाज की सभा द्वारा उससे रुपया १२५) दोनों पार्टियों से जाति दंड के रूप में वसूल किये जायेंगे।

विवाह होने के बाद ~~अपनी (शक्ति अनुसार)~~ मामेरा करने का निर्णय लिया जाता है। विवाह में कपड़े दुल्हा के माता-पिता, तथा दुल्हा के सगे भाइयों एवं सगे दादा-दादी को ही मामेरे के कपड़े करना यह तय किया जाता है। काका व बाबो भी दिये जायेंगे।

(५) छोटे बच्चों की मृत्यु होजाने पर बाटने फिरने पर विचार।—

सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया जाता है कि एक वर्ष तक की उम्र वाले बच्चों की मृत्यु होने पर बाटने बोटने एवं रंग डालने नहीं जाना यह तय किया जाता है।

(६) सगाई की तैवारी चढ़ाने पर विचार करना।—

सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया जाता है कि पूरे वर्ष में एक ही तैवारी चढ़ाई जावे।

(७) मुकता की पगड़ी एवं फेंटा बांधने पर विचार करना।—

सर्व सम्मति से पूर्णतः विचार कर यह निर्णय लिया जाता है कि मृतक को कांधा देने वाला ही व्यक्ति फेंटा बांधे एवं

उस व्यक्ति के लिये एक ही पगड़ी उसके ससुर (पक्ष के) लावे।

(८) सगाई के पामने जाने पर कपड़े लाने पर विचार करना।—

सर्व सम्मति से पूर्णतः गहनता से विचार (विमर्श) कर यह तय किया जाता है कि पामने में कपड़े केवल एक ही जोड़ (जुगल बंद [illegible]) लड़के वाला ले-जावे। वैसे ही लड़की वाला भी एक ही "(जुगल बंद [illegible])" जोड़ कपड़े देवे अगर दादी माँ होवे तो उसके लिये भी देवे। साथ में जो मेहमान जायेंगे वे लोग कपड़े नहीं ले जावेंगे। लड़की वाला केवल साथ में आये मेहमानों को एक नारियल देवे यह तय किया जाता है।

(९) दिगर जाति की औरत करने पर विचार करना।—

सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया जाता है कि दिगर जाति की औरत से नातरा करना या विवाह करने पर रुपया एक हजार जाति दंड लिया जायेगा एवं उस औरत को भी निकालना पड़ेगा। पुनः उसे सोने पर एक रुपया किले लिये जावेगें।

(१०) जाति समाज के मंडल को बढ़ाने पर विचार करना।

इस प्रस्ताव पर पूर्णतः विचार कर यह तय किया जाता है कि ५२ गांव के जाति मंडल के लोग निमाड़

जैसे गुजरात से विवाह शादी के संबंध कर सकेंगे यह तय किया जाता है परन्तु शर्त यही रहेगी कि वह लेवा पाटीदार कुलमी जाति से संबंध करेगा, परन्तु इस प्रस्ताव को पुनः ४२ गांव की अनुमति लेने के बाद अमल में लावे।

(११) समाज के व्यक्ति पर दंड कौन कर सकेगा (कौन प्रस्ताव कमेटी द्वारा किये गये निर्णयों तथा बनाये गये नियमों को भंग करने वाले व्यक्ति पर कौन दंड कर सकेगा) इस पर विचार।

सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया जाता है कि गुनाहगार व्यक्ति पर उसी गांव की सभा को दंड करने का अधिकार रहेगा ~~[illegible]~~ दूसरे गांव की सभा द्वारा दंड नहीं किया जावेगा। यदि किसी प्रकार का दंडित व्यक्ति दंड देने पर इन्कार करेगा तो उस दंड की रकम ४२ गाम की आम सभा द्वारा बनाई गई कमेटी वसूल करने पर जोर देवेगी।

(१२) शादी होने के बाद औरतों को दुःख नहीं दिया जावे इस पर विचार करना।

इस प्रस्ताव पर पूर्ण विचार कर यह निर्णय लिया जाता है कि यदि जाति समाज की किसी लड़की को तकलीफ होवे तो उसको गांव की सभा के सामने

अपनी शिकायत प्रस्तुत करना चाहिये यदि किसी की शिकायत आप से ग्रंथ की सभा ने उस पर विचार कर तुरन्त निर्णय ले लेना चाहिये यह तय किया जाता है।

(१३) धार नगर में कुलदेवी श्री अम्बिका माताजी का मन्दिर निर्माण करने पर विचार करना—

सर्व सम्मति से अम्बिकामाता का मन्दिर बनाना धार नगर में तय किया जाता है। इस दिशा में प्रयास करेगी उचित कदम उठावे। [illegible] होवे।

(१४) समाज के स्थानमान सम्बन्धी मुद्दा:-

नोट:— उपरोक्त जो समाज सुधार आदि के ठहराव किये
(१) गये वे ~~पुरु~~ दिनांक १ जुलाई १९६९ प्रभावशील होंगे।
(२) पश्चात कमेटी की आगामी बैठक ३-८-१९६९ को धार नगर में करने का निर्णय लिया गया।

इसके बाद कमेटी की कार्यवाही सहधन्यवाद समाप्त की गई।

—%—

ह०: संकटलाल पटेल
अध्यक्ष २२/४/६९

सेवा पाटीदार के ५२ ग्राम के प्रतिनिधियों की दुसरी बैठक दिनांक २२-५-६९ को रात्रि के २ बजे पुन: आयोजीत की गई, जिसमें पञ्चहाथ कमेटी निम्नानुसार सूचना दी -

(१) पञ्चहाथ कमेटी द्वारा समाज सुधार तथा माता आम्बिका मन्दिर निर्माण करने के प्रस्तावों पर जो निर्णय लिये उन्हें आम सभा में पढ़कर सभा की स्वीकृति प्राप्त की। सभा ने पञ्चहाथ कमेटी द्वारा लिये गये निर्णयों को मान्य प्रदान किये तथा इन निर्णयों पर से एक नियमावली ~~ब~~बनाकर प्रत्येक गांव में भेजने का सुझाव एवं निर्देश कमेटी को दिया। इस पर से "पञ्चहाथ" कमेटी ने यह उत्तर दिया कि आज से १ माह की अवधि के अन्दर प्रत्येक गांव में पास किये गये प्रस्तावों के नियम ~~की किताब~~ भेजदी जावेगी। साथ ही सभा ने यह भी तय किया कि आज की बैठक में समस्त ५२ ग्राम के प्रतिनिधि नहीं है करीबन ३२ ग्राम के प्रतिनिधियों ने भाग लिया है फिर भी समाज के हित की दृष्टि से पञ्चहाथ कमेटी द्वारा लिये गये निर्णयों को १ जुलाई १९६९ से लागू किया जाना चाहिये। यह अनुमति आम सभा द्वारा प्रदान की गई।

(२) प्रत्येक गांव में नियमावली पहुंचने पर उस गांव में कम से कम ३ से लगाकर ११ सदस्यों की एक ग्राम कमेटी बनाई जावे तथा इस कमेटी का मुखिया भी चुना जावकर उनके नामों की सूची पञ्चहाथ कमेटी को दिनांक ३१-८-६९ के पूर्व भेजी जावे। यह सूचना पञ्चहाथ कमेटी के मंत्री श्री शंकरलालजी मुंशी

सिरसा, पोस्ट सिरसा तहसील व जिलाधीश के पते पर भेजी जावे। साथ ही इनके नियमावली प्रति की रसीद भी भेजी जावे।

—

इसके बाद आज सभा की कार्यवाही सधन्यवाद समाप्त की गई।

ह०: [illegible]

अध्यक्ष

* जय श्री अम्बे * (मिटिंग नं. २)

—x—

आज दिनांक १० अगस्त सन् १९८[illegible] को श्री पाटीदार समाज संगठन जिला धार की आम सभा [illegible] [illegible] धार के सभा कक्ष में आयोजीत की गई जिसमें निम्न कार्यवाही संपन्न कर प्रस्ताव पारित किये गये:—

उपस्थिति:— (१) शंकरलालजी पटेल (२) श्री मांगीलालजी [illegible] बीजूर (३) श्री शंकरलालजी मुंशी तिरला (४) श्री [illegible] कुमारी तिलोदा (५) श्री अम्बारामजी पटेल [illegible] (६) श्री शंकरलालजी पटेल, अगराल (७) श्री नाथाजी पटेल पीठी (८) श्री [illegible]जी पटेल बदनावर (९) श्री मांगीलाल पटेल बदनावर (१०) श्री धीसाजी पटेल [illegible] [illegible] (११) श्री लक्ष्मणजी पटेल [illegible] (धार) (१२) श्री रामाजी पटेल [illegible] (१३) श्री [illegible] पटेल

सर्व प्रथम सभा के संचालन हेतु श्री शंकरलालजी पटेल ग्राम [illegible] को अध्यक्ष पद पर नियुक्त किये गये।

स्वागत भाषण:— श्री [illegible]जी पटेल, [illegible] की ओर से स्वागत भाषण के साथ आज की बैठक का महत्व बतलाया।

इन्दौर क्षेत्र के पाटीदार संगठन पर प्रकाश:— इस में सर्व श्री शंकरलालजी पटेल [illegible] धार के द्वारा इन्दौर पाटीदार समाज संगठन के विकास पर प्रकाश डाला।

प्रस्ताव	ठहराव
(१) श्री अम्बाजी मन्दिर के निर्माण हेतु भूमि एवं पूंजी एकत्रित करने पर विचार:—	सर्व सम्मति से तय किया गया कि माता अम्बाजी के मन्दिर निर्माण हेतु समाज के प्रत्येक परिवार [illegible] प्रति बीघा २) के मान से चंदा [illegible]

13

(१२)

रखा जावे। तथा यह सूचना प्रत्येक गांव में समाज के बंधु की राय लेने हेतु भेजी जावे। प्रत्येक ग्राम की राय पुनः एकत्रित होने पर मन्दिर निर्माण की अग्रिम कार्यवाही की जावे।

(२) यह कि कामचलाऊ समिति में फिलहाल २१ सदस्य हैं तथा समाज के गांवों की संख्या ५२ है अतः प्रत्येक गांव से एक सदस्य रखने पर विचार।

सर्वसम्मति से तय किया गया कि कामचलाऊ समिति के विस्तार बाबत प्रत्येक गांव से १ सदस्य रखा जावे। तथा वह सदस्य जो मुकर्रर किया जावेगा वह उस ग्राम की सभा चुनकर तय करे। चुना गया व्यक्ति ही कामचलाऊ सभा का सदस्य रहेगा।

(३) कामचलाऊ समिति का कार्यालय किस जगह पर रखा जावे इस पर विचार।

सर्वानुमति से तय किया गया कि फिलहाल कामचलाऊ समिति का कार्यालय धार मुकाम पर ही रखा जावे।

(४) यह कि कामचलाऊ समिति की आगामी बैठक कब की जावे इस पर विचार।

सर्वानुमति से कामचलाऊ ~~की~~ सभा ~~की~~ आगामी बैठक भादवा सुदी ३ संवत २०२६, रविवार दिनांक १४ सितम्बर ६९ को आयोजित करने का तय किया गया।

(५) समाज सुधार के नियम को प्रभावित करने हेतु प्रत्येक ग्राम में आम सभा करके नियमों

सर्वसम्मति से तय किया गया कि समाज सुधार के जो नियम बने हैं उन्हें प्रत्येक गांव की आम

९-०० बील्स मुता० शुद्ध फार्म छपाई के 3-५-६८

१-३० पोस्टेज हेमाजी रस्धी कर्मशाला से सामान मार्केटिंग के भेजने का (अ०प्र०, दीनजी)

•-५५ •-५५

१८-२५ नियम छपाई के बिल मुता० १२-६-६८ पोस्टेज बदलाव का

४-५० बॉक्स "टी" का •-२५

११-४५ बील्स फार्म आमंत्रण छपाई का ता० १५-८-६८ पोस्टेज (अ०प्र०, दीनजी)

११-००

१-१० दो वक्त मिटिंग में श्री अम्बालाल कोर्ट बा० हार २/॥ अगरबत्ती पुड़े २/-६० •-३० -।-१५

४०-०० नियम दूसरी दफा १५०० छपाई के जमा पत्र १५० की छपाई के बिल मुता० ता० १२-१०-६८

०-३० समझौता बोर्ड के मेम्बर को ता० ११/६८ की सूचना पोस्टकार्ड डाकखर्च बदलाव, बीगरह, प्रमद.

को पढ़कर समझाने तथा उसमें ~~सुधार~~ बढ़ाने बाबत विचार

को पढ़कर सुनाये जावें तथा नियम चलाने हेतु प्रत्येक ग्राम में एक छोटी कमेटी बनाई जावें तथा नियमों ~~को सुधार~~ बढ़ाने हेतु विचार करके प्रत्येक गांव से राय ली जावें। आगामी काम चलाऊ सभा की बैठक में काम चलाऊ सभा का सदस्य यह कार्यवाही अपने साथ लावें।

(६) संगठन का कार्य सुचारु रूप से चलाने बाबत फिलहाल उपस्थित सज्जनों द्वारा इकरारी दान देने पर विचार

यह तय किया गया कि संगठन के फिलहाल खर्च चलाने हेतु आज जो सदस्य गण उपस्थित हैं उनसे दान के रूप में इकरारी लेने का तय किया जाता है

तदनुसार निम्न सज्जनों से दान प्राप्त हुआ

(१) श्री धूलजी मु. खिलोदा ५)
(२) श्री शंकरलालजी प. पिपलखा ५)
(३) श्री मांगीलालजी डा. बीठूर ५)
(४) श्री लछमनजी डडूलपूना खार ५)
(५) श्री भगारामजी प. धनद ५)
(६) श्री धीमाजी मु. कमलकुआ (डि.) ५)
(७) श्री रामाजी प. आहू ५)
(८) श्री अम्बारामजी प. सारनोद ५)
(९) श्री बोंदरलालजी डडवाडिया खेड़ा ५)
(१०) श्री कन्हैयालालजी पटवारी ला. तीलक. २)
(११) श्री नाथाजी पटेल बीजड़ी ५)
(१२) श्री तुलसीरामजी पटेल तिरला ५)
(१३) श्री [illegible] २)

B.F.L ५७

(१३) श्री [illegible] ५
(१४) श्री [illegible] ५

इसके बाद सभा की कार्यवाही सर्वानुमति समाप्त की गई

१ [illegible] (अध्यक्ष)
२ [illegible] (उपाध्यक्ष)
३ द: [illegible]
४ शंकरलाल (अध्यक्ष)

[illegible] अध्यक्ष

५ [illegible]
६ भागीरथ नंदाजी [illegible]
७ [illegible]
८ ओंकारलाल
९ [illegible]
१० [illegible]
११ [illegible] तिलक
१२ [illegible]
१३ [illegible]
१४ [illegible]
१५ [illegible]
१६ द: नाथाजी [illegible]
१७ [illegible]
१८ [illegible]
१९ [illegible]
२० [illegible]
२१ द: अम्बालाल [illegible]
२२ द: [illegible]
२३ गोपाल [illegible]
२४ चुन्नीलाल
२५ [illegible]
२६ [illegible]

नोट— आज दिनांक १०-८-६९ को सभा के द्वारा श्री शंकरलालजी पटेल [illegible] पर समाज सुधार के नियम क्रमांक ६ का उल्लंघन करने पर सर्वानुमति से २५ अक्षरी पच्चीस रुपये [illegible] दंड किये गये जो उनके द्वारा नगद जमा किया गया।

सभा क्रमांक ३

श्री

आज दिनांक १४-९-१९६९ रविवार को पाटीदार समाज संगठन जिला धार की "काम-चलाऊ समिति" की बैठक मार्केटींग संघ धार के प्रांगण में आयोजीयत की गई जिसमें निम्न कार्यवाही संपन्न की गई:—

उपस्थिति :— श्री रनछोड़पटेल, भागीरथजी बदनावर। उंकारसाजी देवराबदा। धन्नाजी मुकाती दिग्ठान। बबलजी रामाजी, शंकरलाल मुंशी तिरला। बालाराम सुल्तानपुर अम्बाराम पटेल गजनपुरा। मांगीलाल हीरालाल दिग्ठान। शंकरजी पटेल, रनछोड़जी सिरपुर। नरसिंगजी बोरदा। रामचन्द्रजी, अम्बारामजी तारेलदे। रामाजी अन्नू नंदुर रनछोड़जी चेंदवा। श्री लालजी मुकाती रणरमपुर। नंदरामजी हलदे फूलचन्द्रजी जगन्नाथजी। अम्बारामजी पटेल धरमद। गेंदालालजी, रनछोड़जी रामपुरा दसई। कोजिराम अम्बारामजी। मांगीलाल, पंचालालजी दिग्ठान भैरुलाल पुनाजी भगवानजी। बीलेपाबुलजी। गुलाबचन्द्र गोवाजी। बाबनपुर अम्बारामजी। देवलाल पुनाजी भगवान धीराजी। रामचन्द्रजी धनधार रामपुर पीरुजी नानाजी उंकारजी। बोलाराम सावनाजी। बोगा पटेल हीरालालजी

सर्वप्रथम अध्यक्ष के पद पर श्री खेमचन्दजी पाटीदार सा. का चयन किया गया बाद में माता अम्बा का पूजन किया जाकर सभा की कार्यवाही प्रारम्भ की गई:—

(१) संगठन के सचिव श्री शंकरलालजी मुंशी द्वारा समाज की प्रगति पर आवश्यक जानकारी के साथ अभी तक के उत्थान का विवरण विस्तार पूर्वक समझाया।

(२) अध्यक्ष महोदय श्री खेमचन्दजी पाटीदार सा. द्वारा समाज को संगठित करने, समाज सुधार, कृषि विकास, एवं आम्बिका मन्दिर के निर्माण ~~क~~ आदि अन्य विषयों पर विस्तार पूर्वक समझाइश प्रदान की गई। साथ ही संगठन के महत्व पर गहन रूप से जानकारी पर प्रकाश डाला।

प्रस्ताव	ठहराव
१ प्रस्ताव :- काम-चलाऊ समिति के कोरम के लिए कितने व्यक्ति उपस्थित होना जरूरी है।	(१) सर्व-सम्मति से तैय किया जाता है कि २१ सदस्यों की उपस्थिती से कोरम की पूर्ति मानी जावेगी।
प्रस्ताव :- (२) गाँव की काम चलाऊ समिति	(२) प्रदेश दोनों समितीयों की अवधि

और महासभा समिती की अवधि कितने समय की रखना चाहिये
— एक वर्ष की होगी। जनवरी से दिसम्बर तक का समय रहेगा।

(३) समाज सुधार की नियमावली प्रत्येक परिवार में भेजना या नहीं?
— (३) प्रत्येक परिवार में नियमावली की प्रतिलिपियाँ भेजी जावे।

(४) साधारण सभा की बैठक कब होगी?
— (४) साधारण सभा की बैठक जनवरी माह में होगी।

(५) गाँव में कोई भी विवाद होने पर यदि गाँव की समिती दोषी व्यक्ति पर दंड आदि करतीहै तो उसका वितरण किस प्रकार होगा?
— (५) गाँव की समिती के पास दंड राशि का ७५% व महासमिती की पास २५% रहेगा। यदि महासमिती विवाद सुलझावे तो महासमिती के पास ७५% रहेगा व २५% महासमिति गाँव समिती के पास भेज देवेगा।

(६) समाज सुधार के नियमों के विपरीत कोर्ट में जावे तो क्या करना चाहिये?
— (६) समाज सुधार के नियमों के लिये कोई व्यक्ति बाले-बाले न्यायालय में जावे तो उस व्यक्ति पर ५१) अर्थ दंड लेना होगा। याने ग्राम समिति एवं समझौताबोर्ड के बाले-बाले न्यायालय में नहीं जावें।

(७) ग्राम की कार्य पालन समिती का नाम बदलना चाहिये या नहीं?
— (७) "कार्य पालन समिती" की जगह गाँव की सेवा पाटीदार समिती का नाम रखा जावे।

(८) किन किन गाँव से मन्दिर हेतु रकबा की जानकारी प्राप्त हुई है? एवं किन किन गाँवों से नहीं आई है?
— (८) मन्दिर के हेतु ८ गाँव से रकबा सम्बन्धी सूचना प्राप्त हुई है। जिन गाँवों से सूचना प्राप्त नहीं हुई है वे गाँव ८-१० दिन में सूचना देवे।

(९) मन्दिर अम्बिका एवं धर्मशाला के लिये चन्दा कितना व किस प्रकार
— (९) चन्दा दो रुपये प्रति बीघा के हिसाब से लेना तय हुआ है।

सेवक कब वसूल करे और कौन वसूल करे?

चन्दा किश्तों में जनवरी और मई में दो किश्तों में गांव की कमेटी वसूल करेगी। वसूल करके कोषाध्यक्ष व अध्यक्ष के पास जमा करवाके रसीद हासिल करेंगे।

(३०) मन्दिर एवं स्थायी कोष की रकम बैंक में जमा करने बाबत?

(३०) चन्दे की रकम पाटीदार संगठन जिला धार के नाम से स्टेट या देना बैंक में जमा करे एवं खाते के लेन-देन के लिये अध्यक्ष एवं कोषाध्यक्ष संयुक्त रूप से जिम्मेदार रहेंगे।

(३१) कोषाध्यक्ष एवं अध्यक्ष अपने पास कितना रुपया रख सकते हैं?

(३१) सर्वानुमति से तय हुआ है कि कोषाध्यक्ष एवं अध्यक्ष संयुक्त रूप से अपने पास 100) रुपया रख सकेंगे।

पाटीदार समाज के धर्मशाला हेतु व्यवस्था

(३२) मन्दिर हेतु भूमि क्रय करने हेतु उपसमिति का गठन करना। इस समीती को जमीन सम्बन्धी पूरी कार्यवाही करने का अधिकार देने सम्बन्धी विचार

(३२) सर्वानुमति से निम्न सदस्यों की समिति बनाई गई है-

अध्यक्ष (१) श्री शंकरलालजी पटेल, सिरलाया
कोषाध्यक्ष (२) श्री रामचन्द्रजी बोरादिया, लोनार
सदस्य (३) श्री अम्बारामजी पटेल, पनन्द
" (४) श्री हाजी - तिलगारा
" (५) श्री रणछोड़जी पटेल, खेड़ा
" (६) श्री धूलजी मुकाती, खलघाट
" (७) श्री मांगीलालजी चावड़ा, बीजूर
" (८) श्री भीलाजी मुकाती, खाचरु
(९) श्री - आदि

ये मंदिर एवं धर्मशाला बनाने बाबत जमीन श्री दरेकर मंत्री एवं जहां भी उपलब्ध हो संपर्क साधकर योग्य कार्यवाही करेंगे।

(33) काम-चलाऊ समिति में से विवाद के निपटारे हेतु समझौता बोर्ड का गठन करना।

सर्वानुमति से निम्न सदस्यों ~~की~~ काम-चलाऊ समिति द्वारा विवाद के निपटारे हेतु ~~[illegible]~~ समझौता बोर्ड बनाया जावे—

(1) श्री अम्बारामजी पोल [illegible]
(2) श्री ~~[illegible]~~ भागीरथजी पं. रेवड़ा
(3) श्री चम्पालालजी कामदार कोसूर
(4) श्री भागीरथजी बोराडिया, नागोद
(5) श्री रेखाजी पटेल, चिचावणी
~~(6) श्री [illegible]~~

इसमें कानूनी सलाहकार श्री बंशीलालजी पोल एडवोकेट तथा बोर्ड के सचिव श्री शिवलालजी मुंशी [illegible] के रहेंगे।

✓

(34) नौत की प्रथा दुल्हे के सामने थाली रखने पर विचार?

(34) नौत की सामाजिक प्रथा समाप्त की जाती है एवं दुल्हे के सामने थाली अब भविष्य में नहीं रखी जावे।

(35) मान के समय कपड़े करने पर विचार?

(35) मान की प्रथा में बच्चे व उसकी माँ के ही कपड़े लावे अन्य के लिये नहीं।

(36) समाज के जो नियम बने हैं उनमें किसी रूप में दंड की निधी का प्रावधान नहीं है। इस सम्बन्ध में विचार?

(36) जिन नियमों में दंड का प्रावधान नहीं होने पर ग्राम समिति दंड तय करेगी।

(37) विवाह आदि सामाजिक उत्सवों पर रंडी व नाचने वालियों लाने पर विचार?

(37) विवाह आदि सामाजिक उत्सवों पर नृतिका ~~[illegible]~~ या नाचने वालीयाँ या नाचने वाले को नहीं लावे। यदि कोई लावे तो उससे उतना

कृपया ग्राम समिति दंड लेवे।

[illegible]
१४.९.५९
अध्यक्ष

द: आत्माराम [illegible]

मांगीलाल [illegible] तिरखा

शंकरलाल [illegible]

बगदाराम जी

द: नाथाजी [illegible]

हीरालाल पटेल बोड़ावता

द: [illegible]

द: नरसिंग पो. गंगाराम जी [illegible]

[illegible]

राधु [illegible] गंगाराम जी

द: [illegible]

[illegible]

[illegible]

मांगीलाल

[illegible]

द: [illegible]

[illegible]

[illegible]

द: मांगीलाल [illegible]

[illegible] लाल [illegible]

[illegible]

द: आत्माराम [illegible]

द: [illegible] जी [illegible]

द: गंगाराम